रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 26 जुलाई, 1980/4 श्रावण, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(अनुभाग-सी)

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जुलाई, 1980

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी)-49/78-खण्ड-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय मन्त्रियों (हिमाचल प्रदेश) के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 7-क के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों के (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों को सहर्ष बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों के (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) (संशोधन) नियम, 1980 कहलायेंगे।

(2) यह नियम तुरन्त लागू होंगे।

2. **नियम 5 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1979 (जिसे इस में इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

"5. **भुगतान की प्रणाली.**—इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अग्रिम धन राशि का भुगतान निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा:—

(1) अपने भवन के निर्माण के लिए:—

(क) पहली किस्त—निर्माण आरम्भ करने के लिए—स्वीकृत धन राशि के 50 प्रतिशत के बराबर।

(ख) दूसरी तथा अन्तिम किस्त—जब भवन छत की सतह तक पूर्ण हो जाये—स्वीकृत कुल अग्रिम धन राशि का शेष 50 प्रतिशत।

(2) नव निर्मित भवन को खरीदने के लिए—एक मुश्त राशि।

टिप्पणी:—मन्त्री यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त की गई धन राशि का प्रयोग उनके द्वारा उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह धन राशि उन्हें अग्रिम धन के रूप में दी गई थी। यह प्रमाण पत्र उन द्वारा राशि के उक्त प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रयोग हेतु पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा।"

3. **नियम 6 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 6 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

"6. **अग्रिम धन राशि की वसूली.**—(1) नियम 4 के अधीन स्वीकृत अग्रिम धन राशि तथा उस पर पोद्भूत होने वाले ब्याज की वसूली 120 समान मासिक किस्तों में की जायेगी। सरकार शेष कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए या मन्त्री यदि स्वयं ऐसा चाहे तो कम किस्तों में वसूली के आदेश दे सकती है। कटौती, प्रथम किस्त अथवा एक मुश्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के पश्चात् लिए जाने वाले पहले वेतन से आरम्भ की जायेगी।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली उसी प्रकार की अग्रिम राशि पर समय-समय पर नियत किये जाने वाले ब्याज दर के अनुसार इस राशि पर साधारण ब्याज लिया जायेगा। परन्तु अग्रिम राशि लेने के समय नियत की गई ब्याज की दर अग्रिम राशि के पूरे समय तक वही बनी रहेगी।

(3) यदि कोई मन्त्री अग्रिम धन राशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश मन्त्री पद पर नहीं बना रहता परन्तु विधान सभा सदस्य बना रहता है तो मासिक किस्तें उसे विधान सभा सदस्य के रूप में मिलने वाले विभिन्न भत्तों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूल की जायेगी।

(4) यदि कोई मन्त्री किसी कारणवश अग्रिम धन राशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं बना रहता परन्तु पेंशन का हकदार होता है तो उसे मिलने वाली पेंशन में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली की जायेगी तथा मासिक किस्तों की बकाया राशि उसके द्वारा नियमित रूप से खजाने में जमा की जायेगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चालान की एक प्रति सरकार को नियमित रूप से प्रेषित करेगा।

(5) यदि वह विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं रहता तथा पैंशन का हकदार भी नहीं बनता तो उसे मासिक किस्तें उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित नियमित रूप में सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ेंगी तथा इसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को प्रेषित करनी पड़ेगी।

(6) अग्रिम धनराशि तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली से पूर्व ही मृत्यु की दशा में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा विधान सभा सदस्य के वैधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा मासिक किस्त नियमित रूप में सरकारी खजाने में जमा करवाई जायेगी जिसके प्रमाण में खाजने के चालान की प्रति सरकार को हर मास प्रेषित करनी होगी।

(7) यदि मन्त्री या उनका वैधिक प्रतिनिधि यथा स्थिति, अग्रिम धन राशि अथवा उस पर ब्याज की मासिक किस्त की नियमित अदायगी नहीं करता या यदि वह दिवालिया हो जाता है या ऋण के अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल होता है तो इस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूल राशि या उस में से इतना जितना कि उस समय देय तथा असंदत्त रहा हो सरकार को, उस पर विहित दर से ब्याज सहित एक मुश्त में तत्काल देय होगा सरकार को उपरोक्त बकाया राशि 'भू राजस्व के बकाया' के रूप में वसूल करने की छूट होगी।

व्याख्या:—मासिक रूप में वसूल की जाने वाली अग्रिम धन राशि, अन्तिम किस्त जिसमें शेष राशि रुपये के किसी अंश सहित वसूल की जानी है को छोड़ कर पूरे रुपयों में नियत की जायेगी।"

आज्ञानुसार,
के० सी० पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(C—SECTION)
NOTIFICATION

Simla-2, *the* 4/11*th July*, 1980

No. GAD(PA)4(D)49/78-Vol. II.—In exercise of the powers vested in him under section 7-A of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act. 1971 (Act No. 3 of 1971), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, to amend the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1979:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) (Amendment) Rules, 1980.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment to rule* 5.—Section 5 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1979 (hereinafter referred to as the said rules), shall be substituted as follows:—

"**5.** *Mode of payment.*—The amount of advance admissible under these rules shall be paid in the following manner:—

(1) *For the construction of his own house:*—

(*a*) First instalment equal to 50% of the advance sanctioned, for starting the construction;

(*b*) Second and final instalment of remaining 50% of the total advance, after the house has been completed upto the roofs level.

(2) *For the purchase of the new built-up house*—in lump sum.

Note.—A certificate which must be furnished by the Ministers certifying that the amount drawn has been utilised by him for the purpose for which it was advanced to him will be sufficient proof of the amount having been actually utilised by him for the aforesaid purpose."

3. *Amendment to rule* 6.—Rule 6 of the said rules shall be substituted as follows:—

"**6.** *Recovery of advances.*—(1) Recovery of the advance granted under rule 4 together with interest thereon, shall be made in 120 equal monthly instalments. The Government may order recovery to be made in a small number of instalments keeping in view the remaining period of term of office or if the Minister himself so desires. The deduction shall commence with the first issue of salary after the first instalment of/or lump sum advance is drawn.

(2) Simple interest at the rate fixed by the Himachal Pradesh Government from time to time for similar advances sanctioned to its Government servants shall be charged; provided, however, that the rate fixed when the advance is sanctioned shall hold good for the entire duration of the advance.

(3) If a Minister ceases to be a Minister for any reason, before the advance is fully repaid, but continues to be the Member of Legislative Assembly, the monthly instalments shall be recovered by the Vidhan Sabha Secretariat out of the various allowances admissible to him as Member Legislative Assembly.

(4) If a Minister also ceases to be the Member of Legislative Assembly, before the advance is fully repaid, but he is entitled to draw pension, the recovery shall be made by the Vidhan Sabha Secretariat out of the pension payable to him and the balance amount of the monthly instalments shall be deposited by him regularly in the Government Treasury and in token of proof of such payment, he shall submit a copy of the challan to the Government regularly.

(5) In case he ceases to be a Member of Legislative Assembly and is also not entitled to draw the pension, the monthly instalments, together with interest accrued thereupon, shall be deposited by him regularly in Government Treasury and he shall submit a copy of the challan to the Government in token of having deposited the amount.

(6) In the event of death before the recovery of advance along with interest thereon, the legal heir/heirs of the Minister or M.L.A. shall regularly deposit the monthly instalments in the Government Treasury and submit the copy of the challan to the Government, every month in token of having deposited the amount.

(7) If the Minister or his legal representatives, as the case may be, makes default in the regular payment of instalments either of the principal or interest thereon, or if he becomes insolvent or he fails to observe or perform the terms and conditions of the loan, then in such a case the whole of the principal amount of the loan or so much thereof as shall then remain due and unpaid shall become payable forthwith in a lumpsum to the Government with interest thereon at the rate prescribed. The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as 'Arrears of Land Revenue'.

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupee shall be recovered."

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग (अनुभाग सी)

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जुलाई, 1980

संख्या सा0प्र0वि0(पी0ए0) 4 (डी) 49/78—ग-खण्ड-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 7-क के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1979 में संशोधन के लिये निम्नलिखित नियमों को सहर्ष बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) (संशोधन) नियम, 1980 कहलायेंगे।

(2) यह नियम तुरन्त लागू होंगे।

2. **नियम 5 का संशोधन**.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण)-नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के वर्तमान नियम 5 को निम्न-लिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"5. **भुगतान की प्रणाली**:—इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अग्रिम धन राशि का भुगतान निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा :—

(1) अपने भवन के निर्माण के लिये :

(क) पहली किस्त—निर्माण आरम्भ करने के लिये—स्वीकृत धन राशि के 50 प्रतिशत के बराबर।

(ख) दूसरी तथा अन्तिम किस्त—जब भवन छत की सतह तक पूर्ण हो जाये—स्वीकृत कुल अग्रिम धन राशि का शेष 50 प्रतिशत।"

(2) नव निर्मित भवन को खरीदने के लिये—एक मुश्त राशि।

टिप्पणी.—अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसी स्थिति हो, यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त की गई धन राशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिये यह धनराशि उन्हें अग्रिम धन के रूप में दी गई थी, यह प्रमाण पत्र उन द्वारा राशि के उक्त प्रयोजन के लिये वास्तविक प्रयोग हेतु पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा।"

3. **नियम 6 का संशोधन**.—उक्त नियमों के नियम 6 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"6. **अग्रिम धन राशि की वसूली**.—(1) नियम 4 के अधीन स्वीकृत अग्रिम धन राशि तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली 120 समान मासिक किस्तों में की जायेगी। सरकार शेष कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि स्वयं ऐसा चाहें तो कम किस्तों में वसूली का आदेश दे सकती है। कटौती प्रथम किस्त/या एक मुश्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के पश्चात् लिये जाने वाले पहले वेतन से आरम्भ की जायेगी।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली उसी प्रकार की अग्रिम राशि पर समय-समय पर नियत किये जाने वाले ब्याज दर के अनुसार इस राशि पर साधारण ब्याज लिया जायेगा परन्तु अग्रिम राशि लेने के समय नियत की गई ब्याज दर अग्रिम राशि के पूरे समय तक वही बनी रहेगी।

(3) यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, अग्रिम धन राशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर नहीं बना रहता परन्तु विधान सभा सदस्य बना रहता है तो मासिक किस्तें उसे विधान सभा सदस्य के रूप में मिलने वाले विभिन्न भत्तों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूल की जायेंगी।

(4) यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, अग्रिम धन राशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व किसी कारणवश विधान सभा सदस्य के पद पर भी नहीं बना रहता परन्तु पेंशन का हकदार होता है तो उसे मिलने वाली पेंशन में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली की जायेगी तथा मासिक किस्तों की बकाया राशि उसके द्वारा नियमित रूप से खजाने में जमा की जायेगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चालान की एक प्रति सरकार को नियमित रूप से प्रेषित करेगा।

(5) यदि वह विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं रहता तथा पेंशन का हकदार भी नहीं बनता तो उसे मासिक किस्तें उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित नियमित रूप से प्रतिमास सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ेगी तथा इसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को प्रेषित करनी पड़ेगी।

(6) अग्रिम धन राशि तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली से पूर्व की मृत्यु की दशा में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा विधान सभा सदस्य के वैधिक उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) द्वारा मासिक किस्त नियमित रूप में सरकारी खज़ाने में जमा कराई जायेगी जिसके प्रमाण में खज़ाने के चालान की प्रति सरकार को हर मास प्रेषित करनी होगी।

(7) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उनका वैधिक प्रतिनिधि, यथास्थिति, अग्रिम धन राशि अथवा उस पर ब्याज की मासिक किस्त की नियमित अदायगी नहीं करता या यदि वह दिवालिया हो जाता है या ऋण की अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल होता है तो इस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूल राशि या उसमें से इतना जितना कि उस समय देय तथा असंदत रहा हो, सरकार को उस पर विहित दर से ब्याज सहित एक मुश्त में तत्काल देय होगा। सरकार को उपरोक्त बकाया राशि को 'भू राजस्व के बकाया' के रूप में वसूल करने की छूट होगी।

व्याख्या.—मासिक रूप में वसूल की जाने वाली अग्रिम धन राशि, अन्तिम किस्त जिस में शेष राशि रुपये के किसी अंश सहित वसूल की जानी है को छोड़ कर पूरे रुपयों में नियत की जायेगी।"

आज्ञानुसार,

के० सी० पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(C—SECTION)

NOTIFICATION

Simla-2, the 4/11th July, 1980

No. GAD(PA)4(D)49/78-Vol. II.—In exercise of the powers vested in him under section 7-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Dy. Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Dy. Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1979:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Dy. Speaker's (Advance of Loan for House Building) (Amendment) Rules, 1980.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment to rule* 5.—Section 5 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Dy. Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1979 (hereinafter referred to as the said rules), shall be substituted as follows:—

"5. *Mode of payment.*—The amount of advance admissible under these rules shall be paid in the following manner:—

(1) *For the construction of his own house:*

(a) First instalment equal to 50% of the advance sanctioned, for starting the construction;

(b) Second and final instalment of the remaining 50% of the total advance, after the house has been completed upto the roofs level.

(2) *For the purchase of the new built-up house*—in lumpsum.

Note.—A certificate which must be furnished by the Speaker/Dy. Speaker certifying that the amount drawn has been utilized by him for the purpose for which it was advanced to him will be sufficient proof of the amount having been actually utilised by him for the aforesaid purpose."

3. *Amendment to rule* 6.—Rule 6 of the said rules shall be substituted as follows:—

"6. *Recovery of Advances.*—(1) Recovery of the advance granted under rule 4 together with interest thereon, shall be made in 120 equal monthly instalments. The Government may order recovery to be made in a small number of instalments keeping in view the remaining period of term of office or if the Speaker/Dy. Speaker himself so desires The deduction shall commence with the first issue of salary after the first instalment of/or lumpsum advance is drawn.

(2) Simple interest at the rate fixed by the Himachal Pradesh Government from time to time for similar advances sanctioned to its Government servants shall be charged; provided, however, that the rate fixed when the advance is sanctioned shall hold good for the entire duration of the advance.

(3) If the Speaker or Dy. Speaker, as the case may be, ceases to be a Speaker/Dy. Speaker, for any reason, before the advance is fully repaid, but continues to be the Member of Legislative Assembly, the monthly instalments shall be recovered by the Vidhan Sabha Secreteriat out of the various allowances admissible to him as Member Legislative Assembly.

(4) If a Speaker or Dy. Speaker, as the case may be also ceases to be the Member of Legislative Assembly, before the advance is fully repaid, but he is entitled to draw pension, the recovery shall be made by the Vidhan Sabha Secretariat out of the pension payable to him and the balance amount of the monthly instalments shall be deposited by him regularly in the Government Treasury and in token of proof of such payment, he shall submit a copy of the challan to the Government regularly.

(5) In case he ceases to be a Member of Legislative Assembly and is also not entitled to draw the pension, the monthly instalments, together with interest accrued thereupon, shall be deposited by him regularly in Government Treasury and he shall submit a copy of the challan to the Government in token of having deposited the amount.

(6) In the event of death before the recovery of advance along with interest thereon, the legal heir/heirs of the Speaker/Dy. Speaker or M.L.A., shall regularly deposit the monthly instalments in the Government Treasury and submit the copy of the challan to the Government, every month in token of having deposited the amount.

(7) If the Speaker or Dy. Speaker, as the case may be, or his legal representatives, as the case may be, makes default in regular payment of instalments either of the principal or interest thereon, or if he becomes insolvent or he fails to observe or perform the terms and conditions of the loan, then in such a case the whole of the principal amount of the loan or so much thereof as shall then remain due and unpaid shall become payable forthwith in a lumpsum to the Government with interest thereon at the rate prescribed. The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as 'Arrears of Land Revenue'.

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupee shall be recovered."

By order,
K. C. PANDEYA,
Chief Secretary.

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन (हिमाचल प्रदेश)

अधिसूचना

नाहन-173001, 5 जुलाई, 1980

संख्या 5-एस0 आर0 एम0-12/79-इलैक.—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत (निर्वाचन) नियमावली, 1978 के नियम 45 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, मैं, चन्द्रशेखर बालकृष्णन, उपायुक्त, जिला सिरमौर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में वर्णित विकास खण्डों की स्तम्भ 2 में वर्णित ग्राम सभाओं के सन्मुख दर्शाये गये रिक्त स्थानों से निर्वाचित उप-प्रधान/पंचों के नामों को स्तम्भ 3 से 5 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार जनसाधारण की जानकारी हेतु अधिसूचित करता हूं :—

सारणी

विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	उपप्रधान/पंच का पूरा नाम व पता	अ0 जा0/ अ0 ज0 जा0	पुरुष/स्त्री
1	2	3	4	5
1. संगड़ाह	महीपुर	उप-प्रधान, श्री मदन सिंह, पुत्र श्री कपूर सिंह, ग्राम शाकलिया, डा0 महीपुर, तह0 रेणुका ।	—	पुरुष
2. नाहन	बिरला	पंच वार्ड नं0 1 (सुरक्षित) श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री सन्तराम, ग्राम तिरमली, तहसील नाहन ।	अ0 जा0	—यथैव—
	मातर	पंच वार्ड नं0 5 (सुरक्षित) श्री केसु पुत्र श्री टेडु, ग्राम अगड़ीवाला, डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन ।	अ0 जा0	—यथैव—
	पंजाहल	पंच वार्ड नं0 1 (सुरक्षित) श्री मुन्ना पुत्र श्री नान्टा राम, ग्राम ओनखादरी, डा0 पंजाहल, तहसील नाहन ।	अ0 जा0	—यथैव—
3. पांवटा	भरोगवनेड़ी	पंच वार्ड नं0 3 श्री चन्द्र मोहन रमोल पुत्र श्री शिवानन्द रमोल, ग्राम व डा0 भरोगवनेड़ी, तहसील पांवटा ।	—	—यथैव—
	ठोन्ठा जाखल	पंच वार्ड नं0 5 (सुरक्षित) श्री रती राम पुत्र श्री ईशरु, ग्राम ठोन्ठा जाखल, डा0 कान्टीमशावा, तहसील पांवटा ।	अ0 जा0	—यथैव—

चन्द्र शेखर बालकृष्णन,
उपायुक्त ।

स्थान: नाहन,
तारीख 5 जुलाई, 1980

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।